फैक्स/स्पीड पोस्ट

संख्या-38आईआर/छ-मा0-1/14-3(208)/09टीसी

प्रेषक,

सन्त राम प्रजापति,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1 लखनऊ-दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषय- विचाराधीन बन्दी बृजेन्द्र कुमार पुत्र तुलैया की पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की शिकायत (केस संख्या-23692/24/50/08-09-जेसीडी/डीबी-। के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-23692/24/50/08-09-जेसीडी/डीबी-।, दिनांक 07.3.2014 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन होना पाये जाने के परिणामस्वरूप की गई संस्तुति के अनुपालन में श्री राज्यपाल महोदय मृतक बन्दी बृजेन्द्र कुमार पुत्र तुलैया उर्फ तुलसीदास नि0 ग्राम-अकठौहा, थाना-चरखारी, जनपद-महोबा के निकटस्थ परिजन को रू01,00,000/-(रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि अन्तरिम सहायता के रूप में भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रकरण में दोषी पुलिसकर्मियों-**1.आरक्षी 227 ना0पु0 नन्द किशोर पाल, वर्तमान तैनाती जनपद-चित्रकूट एवं 2. आरक्षी-61 ना0पु0 माता प्रसाद, वर्तमान तैनाती जनपद-झांसी** के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने तथा तदनुसार दोषी पाये गये पुलिसकर्मियों पर वसूली का दण्ड अधिरोपित करके नियमानुसार वसूली कर लेखा शीर्ष "0055-पुलिस-105-राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियां-01-राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत राजकोष में जमा करायी जाय एवं कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराया जाये।

2- उक्त धनराशि का भुगतान **मृतक बन्दी बृजेन्द्र कुमार** पता उपरोक्त के निकटस्थ परिजन, जिसका निर्धारण जिलाधिकारी, महोबा द्वारा किया जायेगा, को किया जायेगा। उक्त धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित साक्ष्य/रसीद 10 दिन के भीतर मा0 आयोग एवं शासन को उपलब्ध करायी जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने व्यय चालू वित्तीय वर्ष "2014-2015" के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अधीन लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम आयोजनेत्तर-10-पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में मृतक/घायल के आश्रितों/पीडितों को आर्थिक सहायता-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

...2/-

4- यह आदेश गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1399/छ-मा0-1/14-21(विविध)/13, दिनांक 26-6-2014 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सन्त राम प्रजापति)
उप सचिव।

संख्या-38(1)/छ-मा0-1/14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक निबन्धक (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक-सी, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
2. पुलिस महानिदेशक/नियुक्ति अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार), उ0प्र0 लखनऊ।
4. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, एजी आफिस, इलाहाबाद।
5. जिला मजिट्रेट, **महोबा** को इस आशय से कि कृपया मृतक **बन्दी बृजेन्द्र कुमार**, पता उपरोक्त के निकटस्थ परिजन का निर्धारण तत्काल सुनिश्चित करते हुए उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक **महोबा** को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. पुलिस अधीक्षक, **महोबा** को इस आशय से कि कृपया अन्तरित राहत की धनराशि का भुगतान कराकर साक्ष्य/रसीद मा0 आयोग व शासन को 10 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. कोषाधिकारी, महोबा।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनु0-12
9. गृह(पुलिस)अनुभाग-7
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्त राम प्रजापति)
उप सचिव।